8/12/24 पत्रावली पेश हुई। फरियाद द्वारा कन्सलेन्स/कार्य स्थगित करने के [illegible] ही नहीं की जा सकी। [illegible] दिनांक 5/12/24 को पेश हो

5/12/24 पत्रावली पेश। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगवाने पर भी हाजिर नहीं। इससे स्पष्ट है कि वादी एवं वादी अधिवक्ता इस वादपत्र दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आ.दी.एक्ट. को अग्रसर नहीं करना चाहते है।

अतः इस वादपत्र अक्रम धारा - अक्रम संख्या में खारिज किया जाता है।

पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो